न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 17 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. रामकरण पुत्र मांग्या, जाति धाकड निवासी बोहत, तहसील मांगरोल जिला बारां
2. नाथूलाल पुत्र मांग्या, जाति धाकड निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अप्रार्थीगण)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री रूपचंद सिंघावत अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 28.06.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. अप्रार्थी कम 1 ता 2 के संयुक्त खातदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 130 कुल रकबा 1.84 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 75 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम बोहत में साबिक खसरा नं. 75 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 75 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. माल I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से रामकरण, नाथूलाल पुत्रान मांग्या, जाति धाकड, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थी कम 1 ता 2 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्[illegible] न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में [illegible] ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने [illegible]

उक्त आवंटन / [illegible]न काश्तकारी अधि[illegible] की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट [illegible]चिका संख्या 1536 / 0[illegible]ान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन / नियमन को

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. मौके पर ना तो तलाई है, ना ही तलाई के रूप में प्रयुक्त हो रही है। भूमि समतल एवं काश्त योग्य है। खसरा नंबर 130 पूर्व से ही अर्थात अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल उर्फ माग्या पुत्र बिरजा धाकड निवासी बाहेत के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है, जिसे अर्सा 50 वर्ष से अधिक समय हो गया है। बाद मृत्यु माग्या आरोपित भूमि अप्रार्थीगण/उत्तरदाताओं कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है, जिस पर अप्रार्थीगण काश्त करते व अपनी आजीविका चलाते है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार जो भूमि वास्तविक रूप मे तलाई, खाल, नाल एवं सार्वजनिक उयोग में आ रही है, उसी भूमि बाबत् रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है। खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. भूमि ना तो तलाई है, ना ही मौके पर सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। भूमि काश्त एवं समतल भूमि है। अप्रार्थीगण उत्तरदाता की खाते की भूमि से लगवा सिवायचक भूमि होने से आरोपित भूमि खसरा नंबर 130 पूर्व खसरा नंबर 77 एवं 75 कृषि योग्य पाए जाने पर तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने लम्बे कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किया था, जिसके बाबत अब किसी तरह की कार्यवाही अपेक्षित नही है। तहसीलदार मांगरोल ने गलत तथ्यो पर कार्यवाही पेश की है, कार्यवाही करने से पूर्व ना तो मौके की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया ना ही आवंटन से संबंधित पुराने रेकार्ड को देखा गया है। उक्त भूमि नियमानुसार आवंटन नियमों के अन्तर्गत नियमित रेगूलाइज हुई है, जिसके बाबत रेफरेन्स ना काबिल रफतार है। प्रस्तुत रेफरेन्स अन्दर मियाद नही है, सिवायचक भूमि बाबत किसी प्रकार की आपत्ति करने को 30 साल तक सरकार अधिकृत थी, जबकि आवंटन को हुए लगभग 70 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, जिसके बाबत अब किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्याय अनुमत नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को अनावश्यक परेशान करने बतौर क्षतिपूर्ति 5000 /— प्रार्थी से दिलायी जावें। जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

3— दौराने बहस पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित हुये

4— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बोहत खसरा नंबर 130 कुल रकबा 1.84 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 75 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014—23 के अनुसार ग्राम बोहत में साबिक खसरा नं. 75 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर [illegible] 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज [illegible] दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा [illegible] खसरा नंबर 76 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. माल I कायम किये जाकर अ[illegible]निक रूप से रामकरण, नाथूलाल पुत्रान मांग्या, जाति धाकड, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

5– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी पर मौके पर ना तो तलाई है, ना ही तलाई के रूप में प्रयुक्त हो रही है। भूमि समतल एवं काश्त योग्य है। खसरा नंबर 130 पूर्व से ही अर्थात अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है, प्रस्तुत प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तथा किस्म बाबत् जांच नही की गई, एवं विधि सम्मत प्रकिया नही अपनाई गई। प्रस्तुत रेफरेन्स अन्दर मियाद नही है, अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

6– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम बोहत की आराजी खसरा नंबर 75 रकबा 5.12 बीघा किस्म गै.मु. तलाई मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त 2014–23 दर्ज है। जमाबन्दी 2069–72 के मुताबिक खसरा नंबर 130 रकबा 1.84 है. रामकरण, नाथूलाल पुत्रान मांग्या, जाति धाकड, निवासी बोहत, के खातेदारी में दर्ज है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल अनुसार हाल खसरा नंबर 130 गत खसरा नंबर 75, 76, 77 से कायम किए गये है। उक्त खसरा नंबर 76, 77 गै.मु. तलाई होने के संबंध में प्रार्थी ने पत्रावली में कोई रिकार्ड पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि यदि गत खसरा नंबर 76, 77 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल राजस्व रिकार्ड में गै.मु. तलाई दर्ज है, तो मय सम्पूर्ण रेकार्ड पुनः रेफरेन्स पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested